MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/30672 दिनांक 26 मार्च, 2020

:: आदेश ::

कोविड़–19, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, उपचार के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो तथा **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** में प्रदत्त शक्तियो तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कमांकः एफ.9(58)M&H/2/09/पार्ट दिनांक 12/03/2020 से प्रदत्त शक्तियो के तहत भीलवाड़ा शहर में अवस्थित निम्नांकित निजी चिकित्सालयो के समस्त स्टॉफ यथा चिकित्सको, नर्सिग स्टॉफ एवं अन्य स्टॉफ की सेवाएं तथा चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त संसाधन, चिकित्सा उपकरणो सहित चिकित्सालय भवन/परिसर को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया जाकर चिकित्सको एवं कार्मिको की सेवाएं एवं चिकित्सालय भवन को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को सुपुर्द की जाती हैं।

क0सं0	निजी चिकित्सालय का नाम	अधिग्रहण का विवरण
1.	श्रीमति केसर बाई सोनी हॉस्पीटल, भीलवाड़ा	समस्त स्टॉफ यथा चिकित्सको, नर्सिग स्टॉफ एवं अन्य स्टॉफ की सेवाएं तथा चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त संसाधन, चिकित्सा उपकरणो सहित चिकित्सालय भवन/परिसर
2.	श्री सिद्वि विनायक हॉस्पीटल, भीलवाड़ा	
3.	रामस्नेही चिकित्सालय, भीलवाड़ा	
4.	केशव पोरवाल हॉस्पीटल, भीलवाड़ा	
5.	अरिहन्त हॉस्पीटल, भीलवाड़ा	

शर्ते –

1. अधिग्रहित भवन/परिसर के प्रबन्धक/संचालक द्वारा स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा की टीम के साथ उपस्थित होकर अधिग्रहित भवन एवं परिसर की सुपुर्दगी के समय समय एवं अधिग्रहित अवधि के दौरान नियमित रूप से बिजली, पानी आदि आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायीं जावेगी।
2. आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा चिकित्सा अधिकारियो के निर्देशन में अधिग्रहित भवन एवं परिसर की दैनिक साफ–सफाई करवाये जाने की सुनिश्चित की जावेगी। साथ ही स्वयं द्वारा दैनिक रूप से अधिग्रहित भवनो की साफ–सफाई का सत्यापन किया जावेगा।
3. अधिग्रहित भवन एवं परिसर को पुनः सुपुर्दगी के समय चिकित्सा विभाग द्वारा वि–संक्रमित करने के उपरान्त ही संबंधित संस्था को सुपुर्द किया जावेगा।

संबंधित निजी चिकित्सालय के प्रबंधक/संचालक को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता/देरी नहीं की जावे। अधिग्रहित भवन, परिसर एवं संसाधनो का कब्जा आज ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया जावे। उक्त आदेश की पालना का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा का होगा।

आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा की जावे।

26/3/20

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. **मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर**
2. **अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर**
3. **अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर**
4. **संभागीय आयुक्त, अजमेर**
5. **उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर**
4. **जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा** को आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु।
5. **अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा**
6. **अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा**
7. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा (All Over Incharge)**
8. **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** को समन्वय एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।
9. **समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा (भीलवाड़ा के अतिरिक्त)**
10. **प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा**
11. **प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा**
12. **श्री राजेश सुवालका, सहायक कलक्टर जिला भीलवाड़ा (मोबाईल – 75030 63728)**
11. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा** को भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि संबंधित अधिकारियो से आवश्यक समन्वय स्थापित कर निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही/व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर अवगत करावे।
12. **प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा**
13. **आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा** को पालनार्थ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा तथा सभी संबंधित से सम्पर्क एवं समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु।
14. **सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा**
15. **अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा**
16. **प्रबन्धक एवं संचालक, समस्त निजी चिकितसालय, भीलवाड़ा द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा**

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा